उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-26/2018/294जे/22-5-2018-1200(38)2017

लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2018

वारण्ट

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बब्लू राईन पुत्र श्री बाबू राईन को मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें जिला कारागार, झांसी में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

संख्या-26/2018/249जे(1)/22-5-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-4337/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/17/2017, दिनांक 05-02-2018 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक, झांसी।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।